मुख्य बातें

ग्रामीण आर्थिक परिदृश्य और नीतिगत मामले

वैश्विक अर्थव्यवस्था के उबरने की जो प्रक्रिया 2002-03 में शुरू हुई थी, उसकी गति में थोड़ी कमी तो आई लेकिन 2004-05 में भी वह जारी रही. तेल की लगातार चढ़ी रही कीमतों के कारण मुद्रास्फीति का दबाव वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ-साथ भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा, जिसके कारण उबरने की प्रक्रिया की गति धीमी रही.

भारतीय अर्थव्यवस्था

2. सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र के योगदान के बहुत अधिक घटकर 1.1 प्रतिशत हो जाने के कारण 2003-04 के 8.5 प्रतिशत की अपेक्षा 2004-05 में सकल घरेलू उत्पाद में 6.9 प्रतिशत की ही अनुमानित वृद्धि हुई और इस प्रकार 2004-05 में भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अपेक्षाकृत फीका रहा. कृषि क्षेत्र के योगदान में कमी का कारण 2004 में मानसून का विलंबित और अनियमित होना था. सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर भी 8.9 प्रतिशत से थोड़ी-सी घटकर 8.6 प्रतिशत हो गई जब कि उद्योग क्षेत्र ने अपनी गति बनाए रखी और उक्त अवधि में उद्योग क्षेत्र की वृद्धिदर 6.5 प्रतिशत से बढ़कर 8.3 प्रतिशत हो गई.

3. वर्ष 2004 में दक्षिण-पश्चिमी मानसून के दौरान देश में 2003 के 92.2 सें.मी. की तुलना में कुल 78.1 सें.मी. वर्षा हुई जो सामान्य से 13 प्रतिशत कम थी. 2004 में देश के कुल जिलों में से 43 प्रतिशत जिलों में और कुल फसली क्षेत्र में से 38 प्रतिशत क्षेत्र में कम वर्षा हुई, इसलिए अधिकांश फसलों के बोए गए क्षेत्र में कमी आई. मुख्यतः अनाजों (चावल, बाजरा, मक्का) और दलहन के उत्पादन में कमी के कारण खाद्यान्न उत्पादन भी पिछले वर्ष के 213.4 मिलियन टन से कम होकर 210.4 मिलियन टन हो गया.

4. कुल सकल घरेलू उत्पाद (1993-94 की कीमतों पर) में कृषि और अनुषंगी कार्यकलापों का हिस्सा 2003-04 के 21.7 प्रतिशत से गिरकर 2004-05 में 20.5 प्रतिशत हो गया, जब कि सेवा क्षेत्र का हिस्सा 56.7 प्रतिशत से बढ़कर 57.6 प्रतिशत और उद्योग क्षेत्र का हिस्सा 21.6 प्रतिशत से बढ़कर 21.9 प्रतिशत हो गया. फैक्टर लागत पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल घरेलू बचत की दर 2002-03 के 26.1 प्रतिशत से सुधर कर 2003-04 में 28.1 प्रतिशत हो गई और मुख्यतः निजी क्षेत्र के निवेशों के कारण निवेश भी तदनुरूप अवधि में 24.8 प्रतिशत से बढ़कर 26.3 प्रतिशत हो गया.

5. सहकारी बैंकों, वाणिज्य बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण (क्षेग्रा) बैंकों द्वारा दिए गए कृषि ऋण में 2002-03 के रु.69,560 करोड़ की अपेक्षा 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 2003-04 में यह रु.86,981 करोड़ जा पहुँची. ऐसा अनुमान है कि 2004-05 के दौरान कृषि और अनुषंगी कार्यकलापों के लिए आधारस्तरीय ऋण प्रवाह रु.1,15,242.81 करोड़ तक पहुँच गया होगा जो पिछले वर्ष से 32.5 प्रतिशत अधिक है और 2004-05 के लिए 30 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य से भी ऊपर है.

6. पिछले वर्षों में कृषि के लिए ऋण की पहुँच और प्रवाह - दोनों में वृद्धि हुई है. साथ ही, कृषिजन्य सकल घरेलू उत्पाद में कृषि ऋण का हिस्सा 1993-94 के 10.3 प्रतिशत से बढ़कर 2002-03 में 16.7 प्रतिशत हो गया. तथापि, कृषि क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह के मार्ग में कुछ समस्याएँ बनी रहीं. बैंकों की ग्रामीण शाखाओं का ऋण-जमा अनुपात 1995 के 49 प्रतिशत से गिरकर 2004 में 43.7 प्रतिशत हो गया. समय के साथ कृषि और अनुषंगी कार्यकलापों के लिए प्रत्यक्ष वित्त में मध्यावधि/दीर्घावधि मीयादी ऋणों का आनुपातिक हिस्सा भी घटा है. इसी प्रकार ऋण प्रवाह के मामले में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के बीच भारी विषमताएँ हैं. समस्या की प्रकृति और भयावहता को समझने और कृषि में निवेश को बढ़ाने की रणनीति विकसित करने के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने नाबार्ड के प्रबंध निदेशक श्री य.शं.पा. थोरात की अध्यक्षता में नवंबर 2004 में 'ऋण-जमा अनुपात पर विशेषज्ञ समूह' और भारतीय रिज़र्व बैंक ने उन्हीं की अध्यक्षता में जनवरी 2005 में 'कृषि क्षेत्र में निवेश ऋण पर विशेषज्ञ समूह' का गठन किया.

7. वर्ष 1994-95 से लेकर 2003-04 की अवधि में कृषि क्षेत्र में सकल पूँजी निर्माण (1993-94 की कीमतों पर) रु.14,895 करोड़ और रु.20,510 करोड़ के बीच चढ़ता-उतरता रहा. कृषि क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र के सकल पूँजी निर्माण का अनुपात 5.2 प्रतिशत (1994-95) से बढ़कर 5.8 प्रतिशत (2003-04) हुआ, जब कि तदनुरूप अवधि में कुल सकल घरेलू उत्पाद से कृषि क्षेत्र में निवेश 1.6 प्रतिशत से घटकर 1.3 प्रतिशत रह गया.

8. कृषि का टर्म्स ऑफ ट्रेड (आयात-निर्यात मूल्य सूचकांक अनुपात) वर्ष 1981-82 में समाप्त त्रिवर्ष के 88.7 से बढ़कर 1991-92 में 105.6 हो गया, किंतु यह 100.9 (2000-01) और 105.6 (1997-98) के बीच घटता-बढ़ता रहा और 2003-04 में यह 102.5 था. अस्सी के दशक में टर्म्स ऑफ ट्रेड में सुधार का कारण था कपास, मूँगफली, मोटे अनाजों, दलहन, मीट और मीट उत्पादों आदि फसलों के अपेक्षाकृत ऊँचे दाम मिलना और अंतिम उपभोग की वस्तुओं के लिए कृषि क्षेत्र द्वारा चुकाई गई कीमतों में कम वृद्धि.

9. वर्ष 2004-05 के दौरान 91 मिलियन टन दूध का उत्पादन कर भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना रहा. वर्ष 2002-03 में पशुधन क्षेत्र के उत्पादों का मूल्य कुल सकल घरेलू उत्पाद का 5.4 प्रतिशत था. वर्ष 1997 से लेकर 2005 की अवधि में दूध का उत्पादन 3.3 प्रतिशत वार्षिक की दर से और अंडों का उत्पादन 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ा. वर्ष 2003-04 के दौरान कुल सकल घरेलू उत्पाद में मात्स्यिकी क्षेत्र का हिस्सा 1.1 प्रतिशत और कृषि क्षेत्र से होने वाले सकल घरेलू उत्पाद में उसका हिस्सा 5.4 प्रतिशत रहा. वर्ष 2003-04 में मत्स्य उत्पादन 6.4 मिलियन टन तक पहुँच गया. मत्स्य निर्यात से होने वाली आय कृषि क्षेत्र निर्यात का 24 प्रतिशत बैठती है.

10. लघु उद्योग क्षेत्र ने 2003-04 के दौरान उत्पादन के मूल्य की दृष्टि से 11.5 प्रतिशत की और रोजगार सृजन की दृष्टि से 4.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की. भारत सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष के दौरान कई कदम उठाए.

11. देश के कुल निर्यात में कृषि निर्यात का हिस्सा 2003-04 के 11.8 प्रतिशत से कम होकर 2004-05 में 10 प्रतिशत हो गया. तथापि, तदनुरूप अवधि में कृषि-निर्यात की वृद्धि दर 8.5 से बढ़कर 9.1 प्रतिशत हो गई. कुल आयात में खाद्य पदार्थों और उनसे जुड़े अन्य उत्पादों का हिस्सा 2003-04 के 4.5 प्रतिशत से घटकर 2004-05 में 3.2 प्रतिशत हो गया.

विकास कार्य

12. नाबार्ड ने वाटरशेड विकास, पिछड़े क्षेत्रों के समन्वित विकास, कृषि क्लीनिकों और कृषि व्यवसाय केन्द्रों की स्थापना में सहयोग, कृषि निर्यात क्षेत्रों के संवर्धन, औषधीय फसलों की खेती, ठेका खेती, गैर-कृषि कार्यकलापों के विकास, सूक्ष्म वित्त प्रयासों के माध्यम से ग्रामीण ऋण प्रणाली की पहुँच में वृद्धि, अनुसंधान और विकास कार्यों के समर्थन और ग्रामीण बैंकिंग कार्मिकों के प्रशिक्षण पर ध्यान देना जारी रखा.

कृषि क्षेत्र

13. वर्ष के दौरान क्षमता निर्माण चरण के अंतर्गत रु.3.91 करोड़ की अनुदान सहायता से युक्त 78 वाटरशेड परियोजनाएँ मंजूर की गईं, जिनके साथ ही मंजूर परियोजनाओं की संचयी संख्या 352 और मंजूर अनुदान सहायता की संचयी राशि रु.17.03 करोड़ हो गई. कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष के दौरान रु.7.33 करोड़ संवितरित किए गए. अब तक राज्य सरकारों को प्रदत्त ऋणों को शामिल करते हुए कार्यान्वयन एजेंसियों को रु.18.80 करोड़ जारी किए जा चुके हैं. इसके अलावा, वर्ष के दौरान 64 परियोजनाएँ पूर्ण कार्यान्वयन चरण में प्रवेश कर गईं, जिससे ऐसी परियोजनाओं की कुल संख्या 101 हो गई. इसके अलावा, योजना आयोग ने दक्षिण बिहार के आठ जिलों में 80,000 हेक्टेयर जमीन के विकास के लिए सहभागितामूलक वाटरशेड विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी नाबार्ड को सौंपी है.

14. पिछड़े ब्लॉकों के समन्वित विकास की परियोजना (पीपीआईडी) जुलाई 2003 में पाँच राज्यों के 10 पिछड़े ब्लॉकों में शुरू की गई थी. वर्ष के दौरान कार्यक्रम की समीक्षा की गई जिससे यह तथ्य सामने आया कि एक संकल्पना के रूप में और पिछड़े ब्लॉकों के विकास के एक मॉडल के रूप में यह कार्यक्रम जमीनी स्तर पर अपनी छाप छोड़ चुका है और इसने नीतिनिर्माताओं का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है. इन ब्लॉकों में गरीबी उन्मूलन के प्रयासों, उद्यमिता विकास और रोजगार सृजन, वाडी (छोटा बागान) कार्यक्रम की पुनरावृत्ति, आधारभूत सुविधा विकास आदि में अच्छी प्रगति हुई है. विकास की प्रक्रिया को तेज करने के एक साधन के रूप में इस कार्यक्रम की सफलता को देखकर इसे पाँच अन्य राज्यों के 40 और ब्लॉकों में शुरू किया जा रहा है.

15. भारतीय किसानों को सशक्त बनाने और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का प्रयास करते हुए आईटीसी लि. ने 'संचालक' कहे जाने वाले अग्रणी किसानों द्वारा प्रबंधित 5,200 ई-चौपालों की स्थापना की है, जो छह राज्यों के 20,000 गाँवों को सेवा देंगे. नाबार्ड ने आईटीसी लि. की मध्य प्रदेश में परिचालित एक परियोजना 'डायग्नोस्टिक्स फॉर ई-

चौपाल' की सहायता की है और रु.9 लाख की अनुदान सहायता मंजूर की है. परियोजना का उ-ेश्य एक आईटी-आधारित प्रैक्टिकल हैण्डबुक तैयार करना और मुख्य फसलों के उत्पादन और उनकी सुरक्षा के लिए डायग्नोस्टिक उपकरण विकसित करना है. नाबार्ड ने ई-चौपालों के 20 चुने हुए संचालकों को रिवॉल्विंग निधि सहायता उपलब्ध कराई है ताकि वे आईटीसी-आईबीडी के सहयोग से सोयाबीन की फसल के लिए निविष्टियों का भंडार रख सकें. इसका उ-ेश्य निदर्शनात्मक प्रभाव उत्पन्न कर बैंकों को इस तथ्य के बारे में कायल करना है कि संचालकों का वित्तपोषण बैंकों के लिए लाभप्रद है.

16. कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के उ-ेश्य से नाबार्ड ने कम ब्याज दरों पर सभी ग्राहक संस्थाओं को, कृषि निर्यात क्षेत्र में शामिल सभी कार्यकलापों के लिए पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध कराई. कार्यक्रम को गति देने के लिए, नाबार्ड ने कई कदम उठाए हैं, जैसे बैंकिंग योजनाएँ तैयार करना, हितधारकों के लाभ के लिए प्रकाशन निकालना, उपयुक्त ऋण-उत्पाद विकसित करने जैसे वित्तीय सहयोग देना, आदि. इन प्रयासों के कारण 2004-05 में कृषि निर्यात क्षेत्रों के अंतर्गत रु.437.14 करोड़ का पुनर्वित्त संवितरण हुआ (2003-04 में रु. 343 करोड).

17. राष्ट्रीय बाँस प्रौद्योगिकी और व्यापार विकास मिशन द्वारा तैयार की गई कार्रवाई योजना के अनुरूप नाबार्ड ने बाँस क्षेत्र को विशेष दर्जा दिया है. परिचालनात्मक और नीतिगत मामलों को सुव्यवस्थित बनाने के लिए बैंक ने प्रधान कार्यालय में एक 'बाँस कक्ष' की स्थापना की है और नीतिगत संवर्धन, वित्तीय सहायता, क्षमता निर्माण और नेटवर्किंग समन्वय के क्षेत्रों में अपेक्षित सहायता के बारे में एक दस्तावेज भी तैयार किया है.

18. बैंक ने औषधीय, सगंध और जड़ी-बूटी फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए इस विषय पर एक राष्ट्रीय परामर्श बैठक आयोजित की जिसमें 160 हित-धारकों ने हिस्सा लिया. बैंकों, गैर-सरकारी संगठनों और किसानों को औषधीय और सगंध फसलों की खेती के प्रति जागरूक बनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए और इन फसलों के लिए इकाई लागत/वित्तमान का निर्धारण किया गया. किसानों की ऐसी फसलों के लिए सुनिश्चित बाजार उपलब्ध हो और अच्छी कीमत मिलें, यह सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड ने वर्ष के दौरान विभिन्न कारपोरेट घरानों से बातचीत भी शुरू की.

19. कृषक समुदाय को जिन गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनपर विचार करने के लिए नाबार्ड ने वर्ष के दौरान सात राज्यों के चुने हुए जिलों में गैर-सरकारी संगठनों के विशेषज्ञों की सहायता से कृषक बैठकें आयोजित कीं. इन बैठकों में जो मु- सामने आए उन पर सभी हित-धारकों ने राष्ट्रीय परामर्श बैठक में विचार-विमर्श किया. मुख्य मंत्रियों, बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों और निजी कारपोरेट घरानों से, किसानों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए बैठक में सामने आए कार्रवाई मु-ों पर उपयुक्त कदम उठाने का अनुरोध भी किया गया.

20. कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र की बढ़ती हुई भागीदारी को ध्यान में रखते हुए नाबार्ड ने चुने हुए कारपोरेट घरानों को, कृषि क्लीनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र, ठेका खेती, किसान क्लब आदि विशिष्ट कार्यक्रमों में उनके सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए और किसानों के लाभ के लिए इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में उन्हें शामिल करने के लिए आमंत्रित किया.

21. ऐसे प्रयासों को और मजबूत बनाने के लिए और सामाजिक उत्तरदायित्व के कार्यक्रम कार्यान्वित करने के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रयासों में सहायता के लिए नाबार्ड के प्रधान कार्यालय में गठित कारपोरेट संपर्क कक्ष ने भेल, कोल इंडिया लिमिटेड और कुद्रेमुख कोर लिमिटेड के साथ बात-चीत शुरू की. एचपीसीएल की हमारा पंप योजना के साथ किसान क्रेडिट कार्ड तथा कृषि क्लीनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र योजना के समन्वय के प्रयास जारी हैं. इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएँ प्रदान करने के मॉडल (पुरा) के अंतर्गत दो राज्यों में कार्यान्वयन के लिए एक प्रस्ताव को औपचारिक रूप दिया गया.

22. भारत में बाजार की बुनियादी सुविधा को और मजबूत करने के लिए नाबार्ड राष्ट्रस्तरीय प्रमुख कमोडिटी एक्सचेंजों में साझीदार बना है और इसने उनके प्रबंधन और उनकी इक्विटी में भी सहभागिता की है. नाबार्ड ने नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्ज़ एक्सचेंज (एनसीडेक्स) की इक्विटी में रु.4.50 करोड़ और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) की इक्विटी में रु. 1.25 करोड़ का अंशदान किया है.

23. नाबार्ड ने 'प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए क्षमता निर्माण' नामक एक विशेष योजना (कैट) तैयार की है जिसके तहत किसानों को, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों और आदिवासियों को, अनुसंधान संस्थाओं, कारपोरेट घरानों, गैर-सरकारी संगठनों, प्रगतिशील किसानों / उद्यमियों आदि द्वारा विकसित और प्रमाणित कृषि प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए जागरूक और समर्थ बनाया जाएगा. वर्ष के दौरान अनुसंधान संस्थाओं, कृषि विज्ञान केंद्रों, गैर-सरकारी संगठनों और कृषि विश्वविद्यालयों के सहयोग से टिश्यू कल्चर, वर्मीकल्चर, ऑर्गेनिक

फार्मिंग, पॉली-हाउस टेक्नॉलॉजी, कमर्शियल डेरी आदि पर 1,118 किसानों के लिए एक्सपोजर कार्यक्रम आयोजित किए गए.

24. गुजरात और महाराष्ट्र में आदिवासी विकास कार्यक्रम के तहत अपनाई गई वाड़ी पद्धति की पुनरावृत्ति और देश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से वाड़ी का संदेश फैलाने के उद्देश्य से नाबार्ड ने रु.50 करोड़ के आरंभिक अंशदान से एक आदिवासी विकास निधि स्थापित की है. इस निधि की राशि बढ़ाने के लिए योजना आयोग और भारत सरकार के आदिवासी मामला मंत्रालय से भी अंशदान के लिए अनुरोध किया गया है. इस निधि से आदिवासी परिवारों को वाड़ी तथा अन्य धारणीय छोटे उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी.

25. भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बिहार और उत्तर प्रदेश में से प्रत्येक राज्य में 100 पशुधन विकास केंद्र स्थापित करने की दो परियोजनाओं को मंजूरी दी है जिन्हें बैफ, पुणे द्वारा पाँच वर्षों की अवधि के लिए रुपये 26.52 करोड़ की वित्तीय सहायता से कार्यान्वित किया जाएगा. नाबार्ड को मार्गदर्शन, निधियों की व्यवस्था, और अनुप्रवर्तन के लिए फैसिलिटेटर के रूप में नामित किया गया है. वर्ष के दौरान बिहार में ऐसे 73 केंद्रों ने और उत्तर प्रदेश में 93 केंद्रों ने काम करना शुरू कर दिया.

26. नाबार्ड ने व्यावसायिक फसलों का उत्पादन बढ़ाने और किसानों के लिए विपणन के अवसर निर्मित करने के लिए ठेका खेती व्यवस्था (कृषि निर्यात क्षेत्र के भीतर और बाहर) के लिए विशेष पुनर्वित्त पैकेज विकसित किया है. वर्ष 2004-05 के दौरान ठेका खेती के लिए रु.774 करोड़ का पुनर्वित्त संवितरण किया गया.

27. गैर-सरकारी संगठनों, अनुसंधान संस्थाओं, कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों, व्यक्तियों आदि के द्वारा कृषि और अनुषंगी क्षेत्रों में किए जा रहे विविध अभिनव प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु नाबार्ड ने रु. 5 करोड़ की आरंभिक राशि से कृषि नवोन्मेष और संवर्धन निधि की स्थापना की है. इस निधि से कृषि प्रौद्योगिकी में नवोन्मेष के लिए, कृषि क्षेत्र में नई संकल्पनाएँ और प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए, नए कार्यकलापों की संभाव्यता के आकलन हेतु बाज़ार का सर्वे करने के लिए, नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी के लिए पेटेंट हासिल करने के लिए, नए उत्पादों के बारे में जानकारी के प्रसार के लिए और अन्य कार्यों के लिए सहायता दी जाएगी.

गैर-कृषि क्षेत्र

28. ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गठित ग्रामीण संवर्धन समूह निधि के अंतर्गत वर्ष के दौरान गैर-सरकारी संगठनों / संवर्धन एजेंसियों को रु.9.99 करोड़ संवितरित किए गए. इस प्रकार संवितरित अनुदान सहायता की संचयी राशि रु.61.58 करोड़ हो गई.

29. 20 राज्यों के 80 जिलों में कार्यान्वित की जा रही जिला ग्रामीण उद्योग परियोजना (ड्रिप) को संबंधित जिलों में फिर से उर्जा प्रदान की जा रही है ताकि अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके. साथ ही, विभिन्न संवर्धनात्मक सहयोगों के माध्यम से अपेक्षित बल दिया जा रहा है. अब तक 6.53 लाख इकाइयाँ (मार्च 2004) स्थापित की गई हैं जिनसे 13.60 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला है और 63 जिलों में आधारस्तरीय ऋण प्रवाह रु.6,049.92 करोड़ के स्तर पर पहुँच गया है. ड्रिप कार्यनीति के एक भाग के रूप में यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक ड्रिप जिले से एक ग्राम पंचायत को गोद लिया जाए और सभी वर्तमान संवर्धनात्मक सहयोगों के कार्यान्वयन के माध्यम से उसका सघन विकास किया जाए, तथा विपणन संबंधी कार्यकलापों पर ध्यान केंद्रित किया जाए.

30. राष्ट्रीय ग्रामीण औद्योगिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत बैंक ने 56 क्लस्टरों में क्लस्टर विकास का संवर्धनात्मक कार्यक्रम शुरू किया है. वर्ष के दौरान, इन क्लस्टरों में विविध सहयोगों के लिए गैर-सरकारी संगठनों / नोडल एजेंसियों को रु.16.33 लाख की अनुदान सहायता जारी की गई. इसके अलावा, वर्ष के दौरान 13,382 शिक्षित ग्रामीण बेरोजगार युवाओं के लिए आयोजित 666 ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को सहायता दी गई जिसमें रु.4.36 करोड़ की अनुदान सहायता शामिल है. वर्ष 1990 में कार्यक्रम के आरंभ से लेकर अब तक रु.27.02 करोड़ की अनुदान सहायता से 1.70 लाख ग्रामीण युवकों के लिए 6,247 कार्यक्रम चलाए जा चुके हैं. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में 56,758 व्यक्ति उद्यम स्थापित करने में समर्थ हुए हैं. नाबार्ड ने वर्ष के दौरान प्रायोगिक आधार पर असम रेजीमेंटल सेंटर, शिलांग को चार ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के आयोजन के लिए रु.4.80 लाख की अनुदान सहायता मंजूर की है ताकि पूर्व सैनिक सेवानिवृत्ति के बाद अपना दूसरा कैरियर शुरू कर सकें.

31. बैंक ने हथकरघा बुनकरों के लिए कौशल उन्नयन और डिजाइन विकास की योजना (सुधा) के माध्यम से प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों के सदस्यों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को सहायता देकर हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के प्रयास जारी रखे. अब तक इस योजना के तहत रु.10.71 लाख की अनुदान सहायता मंजूर की गई है.

32. नाबार्ड ने गैर कृषि विकास में ग्रामीण महिलाओं को सहायता की योजना (अरविंद), ग्रामीण महिलाओं के गैर-कृषि उत्पादों के विपणन की योजना (महिमा) और क्षेत्र विकास के माध्यम से महिलाओं के विकास की योजना (देवता) के द्वारा महिलाओं के विकास के कार्यक्रमों को सहायता देना जारी रखा. वर्ष के दौरान अरविंद के अंतर्गत पाँच परियोजनाओं के लिए रु.3.03 लाख और महिमा के अंतर्गत छह परियोजनाओं के लिए रु.2.93 लाख की अनुदान सहायता मंजूर की जा चुकी है. नाबार्ड ने तीन वर्ष की अवधि में 3,271 महिलाओं के कौशल उन्नयन और क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण हेतु तीन क्षेग्रा बैंकों को रु.31.98 लाख मंजूर किए हैं. वर्ष के दौरान नाबार्ड ने महिला विकास कक्षों की स्थापना के लिए सहकारी बैंकों और क्षेग्रा बैंकों को रु.17.90 लाख की अनुदान सहायता दी.

सूक्ष्म वित्त

33. अब स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण से जोड़ने के कार्यक्रम ने देश के संसाधनों की कमी वाले क्षेत्रों में भी जगह बनाना शुरू कर दिया है. वर्ष के दौरान, 5,39,385 स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण से जोड़ा गया. इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 49 प्रतिशत वृद्धि हासिल हुई. इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएँ महिलाओं की सक्रिय सहभागिता (90%) और समय से ऋण की चुकौती (95%) रही. इस वर्ष तमाम राज्यों में इस कार्यक्रम में चतुर्दिक् प्रगति हुई. 31 मार्च 2005 तक कार्यक्रम से लगभग 16.18 लाख स्वयं सहायता समूहों की सहबद्धता के माध्यम से अनुमानतः 242.5 लाख निर्धन परिवार औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से सूक्ष्म वित्त तक पहुँच बनाने में सक्षम हुए.

34. वर्ष के दौरान अपनी सहयोगी संस्थाओं के लिए क्षमता निर्माण के नाबार्ड के कार्यक्रम के अंतर्गत 2.57 लाख सहभागियों को प्रशिक्षित किया गया और 8,204 बैंक अधिकारियों के लिए स्वयं सहायता समूहों का दौरा करने की व्यवस्था की गई. रिसोर्स के रूप में चयनित गैर-सरकारी संगठनों के साथ जुड़कर बैंक ने समूहों के 2.08 लाख सदस्यों के लिए जागरूकता एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए भी सहयोग दिया. वर्ष के दौरान 43,359 समूहों के संवर्धन के लिए 26 सहकारी बैंकों, 12 क्षेग्रा बैंकों, 317 गैर-सरकारी संगठनों और 10 स्वयंसेवियों को रु.597.48 लाख की अनुदान सहायता मंजूर की गई. इस प्रकार 31 मार्च 2005 तक 2.11 लाख समूहों के संवर्धन के लिए संचयी सहायता रु.2,534.34 करोड़ हो गई.

35. वित्तीय मध्यस्थता का काम करने के लिए नाबार्ड चुने हुए गैर-सरकारी संगठनों को रिवॉल्विंग निधि सहायता उपलब्ध कराता है. अब स्वयं सहायता समूहों अथवा छोटे समूहों अथवा व्यक्तियों को ऋण देने के लिए सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को भी रिवॉल्विंग निधि सहायता दी जाती है. अब तक 32 एजेंसियों को रु.27.32 करोड़ की सहायता राशि मंजूर हुई है और रु.17.80 करोड़ जारी किए जा चुके हैं.

36. नवोन्मेष को बढ़ावा देने और कार्यक्रम को दीर्घकालीन बनाने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए बैंक ने पूर्व में प्रारंभ की गई प्रायोजिक परियोजनाओं, नामतः स्वयं सहायता समूहों एवं बैंकों के बीच स्वस्थ प्रबंध सूचना प्रणाली की स्थापना के लिए 'बही लेखन में ग्रामीण वालंटियरों की सहभागिता', कम्प्यूटर मुंशी के रूप में ग्रामीण कुशल युवकों का प्रशिक्षण, उड़ीसा के कालाहाण्डी जिले में अनाज बैंकों की स्थापना (परियोजना का विस्तार छत्तीसगढ़ तक किया गया) और बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूहों के खातों के अनुप्रवर्तन एवं सर्विसिंग के लिए प्रोसेसर कार्ड के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के उपयोग की परियोजनाओं को जारी रखा और वर्ष के दौरान कुछ नई प्रायोगिक परियोजनाएँ भी शुरू कीं, जैसे स्वयं सहायता समूहों द्वारा सूक्ष्म उद्यमों का संवर्धन, 'ई-ग्राम' परियोजना, संयुक्त देयता समूहों और रायतु मित्र समूह का वित्तपोषण आदि.

37. तेरह प्राथमिकता प्राप्त राज्यों में, जिनमें देश के 70 प्रतिशत ग्रामीण निर्धन रहते हैं, स्वयं सहायता समूह-बैंक सहबद्धता कार्यक्रम को बढ़ाने पर दिए गए जोर के परिणामस्वरूप 2003-05 के दौरान बैंक ऋण से सहबद्ध स्वयं सहायता समूहों की संख्या में ढाई गुना वृद्धि हुई है. आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों जैसे असम, बिहार और उड़ीसा में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई. इसके परिणामस्वरूप दक्षिणी राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों का हिस्सा 31 मार्च 2002 के 28 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च 2005 को 41 प्रतिशत हो गया.

38. नाबार्ड के साथ गैर-सरकारी संगठनों की सहभागिता को मजबूत एवं व्यापक बनाने के लिए पूरे देश के 35 गैर-सरकारी संगठनों के साथ परामर्श बैठक आयोजित की गई. बैठक में विचारों एवं दृष्टिकोण के आदान-प्रदान के साथ-साथ सुस्थापित गैर-सरकारी संगठनों का काम नए भौगोलिक क्षेत्रों में बढ़ाने और सूक्ष्म उद्यमों, वाटरशेड विकास में सामुदायिक सहभागिता, प्राथमिक ग्राहकों में उद्यमिता एवं कौशल के विकास, कृषक समुदायों तक प्रौद्योगिकी के अंतरण जैसे क्षेत्रों में उनका सहयोग लेने की संभावनाओं का आकलन करने का अवसर मिला.

39. संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2005 को 'अंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म ऋण वर्ष' का नाम दिया है. और सरकारी, गैर-सरकारी संस्थाओं और निजी क्षेत्र को सूक्ष्म वित्त के क्षेत्र में क्षमता निर्माण और इस विषय के संबंध में जागरूकता बढ़ाने में सहायता के लिए आमंत्रित किया है. भारत में इसकी शुरुआत 18 नवंबर 2004 को मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में की गई और इसे नाबार्ड, सिटीग्रुप और प्लेनेट फाइनेंस ने सहयोग दिया.

40. वर्ष के दौरान स्वयं सहायता समूह - बैंक सहबद्धता कार्यक्रम की गति बढ़ाने के लिए सूक्ष्म वित्त विकास निधि से रु.6.39 करोड़ की धनराशि का उपयोग किया गया. भारत सरकार ने इस निधि का नाम बदलकर सूक्ष्म वित्त विकास एवं इक्विटी निधि करने और इसकी समूह निधि बढ़ाकर रु.200 करोड़ करने का निर्णय लिया है. इस कार्यक्रम में सहायता देने एवं इसे मजबूत बनाने के लिए एसडीसी और जीटीजेड जैसी संस्थाओं के साथ नाबार्ड का सहयोग वर्ष के दौरान जारी रहा. ऋण एवं वित्तीय सेवा निधि से सूक्ष्म वित्त नवोन्मेषों के लिए रु.41.51 लाख का उपयोग किया गया.

अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँ

41. वर्ष के दौरान प्रशिक्षण गतिविधियों (रु.510 लाख), अनुसंधान परियोजनाओं/अध्ययनों (रु.31 लाख) और संगोष्ठियों के आयोजन एवं सामयिक निबंध आदि तैयार करने के लिए (रु.37 लाख) अनुसंधान एवं विकास निधि से रु.578 लाख की राशि अनुदान सहायता के रूप में वितरित की गई. वर्ष के दौरान रु.37.94 लाख की अनुदान सहायता से युक्त पाँच अनुसंधान परियोजनाओं/अध्ययनों को मंजूरी दी गई और पूर्व में मंजूर की गई सात परियोजनाओं/अध्ययनों को पूरा किया गया.

42. वर्ष के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं अनुसंधान संस्थानों द्वारा 59 सम्मेलन, सेमिनार एवं कार्यशालाएँ आयोजित किए जाने के लिए रु.28.33 लाख की अनुदान सहायता मंजूर की गई. कृषि ऋण और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में नीतिगत मु-ों पर सूचनाएँ प्राप्त एवं प्रसारित करने के लिए वर्ष के दौरान सात सामयिक निबंध प्रकाशित किए गए.

अन्य विकास कार्य

43. वर्ष के दौरान नाबार्ड ने अपने निजी प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्राथमिक ऋण वितरण संस्थाओं और ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं के 11,813 कार्मिकों के लाभ के लिए 450 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया और तकनीकी तथा वित्तीय सहायता देकर इस क्षेत्र के अन्य प्रशिक्षण संस्थानों के प्रयासों में सहयोग दिया. पूर्वोत्तर क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं की प्रशिक्षण आवश्यकताओं की अनुपूर्ति के लिए आईआईबीएम, गुवाहाटी और एमडीएमआई, शिलांग को रु.20.15 लाख की अनुदान सहायता दी गई. नाबार्ड ने ग्राहक संस्थाओं के कार्मिकों के सहभागिता शुल्क को सब्सिडाइज़ करने के लिए, अंशदान देना जारी रखा. वर्ष के दौरान 1,293 कार्यक्रमों के संचालन के लिए, सहकारिता विकास निधि से कनिष्ठ स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रों और कृषि एवं सहकारी स्टाफ प्रशिक्षण संस्थाओं को रु.394 लाख की वित्तीय सहायता दी गई. इन कार्यक्रमों में 23,647 सहभागियों ने हिस्सा लिया.

व्यावसायिक परिचालन

44. नाबार्ड ने अपने पुनर्वित्त के माध्यम से कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह बढ़ाने हेतु सहकारी बैंकों, वाणिज्य बैंकों और क्षेग्रा बैंकों के संसाधनों की अनुपूर्ति जारी रखी. वर्ष 2004-05 से शुरू कर अगले तीन वर्षों में कृषि ऋण प्रवाह को दोगुना करने के भारत सरकार के कार्यक्रम के कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण एवं अनुप्रवर्तन की जिम्मेदारी, वर्ष के दौरान नाबार्ड को सौंपी गई. वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान नाबार्ड द्वारा दी गई कुल वित्तीय सहायता क्रमशः रु.21,935 करोड़ और रु.27,102 करोड़ रही.

कृषि ऋण

45. वर्ष 2003-04 के दौरान कृषि और अनुषंगी गतिविधियों के लिए आधार स्तर पर कुल ऋण प्रवाह पिछले वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए रु.86,981 करोड़ होने का अनुमान है. 1999-2000 से 2003-04 की अवधि में अल्पावधि उत्पादन ऋण (फसली ऋण) का संवितरण 17 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से बढ़ा जब कि निवेश ऋण (सावधि ऋण) में 15 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई. निवेश ऋण के तहत कुछ क्षेत्रों जैसे कृषि विकास, हाई-टेक कृषि, मत्स्यपालन और बागान तथा बागवानी में उल्लेखनीय वृद्धि परिलक्षित हुई जबकि लघु सिंचाई और कृषि मशीनीकरण जैसे अन्य क्षेत्रों में ऋण प्रवाह स्थिर बना रहा. इसी अवधि में सहकारी बैंकों, क्षेग्रा बैंकों और वाणिज्य बैंकों से आधार स्तर पर ऋण प्रवाह में क्रमशः 9.5, 23.4 और 20.4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हई. वाणिज्य बैंकों का हिस्सा 53 से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया, क्षेग्रा बैंकों के हिस्से में मामूली (7 से 9%) वृद्धि हुई जब कि सहकारी बैंकों का हिस्सा 40 से घटकर 31 प्रतिशत रह गया.

46. कृषकों को पर्याप्त ऋण उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने जून 2004 में एक ऋण पैकेज घोषित किया जिसमें कृषि के लिए ऋण प्रवाह में 2004-05 के दौरान 30 प्रतिशत वृद्धि और 3 वर्ष की अवधि में इसे दोगुना करने की परिकल्पना है. कार्यक्रम के सुगम कार्यान्वयन हेतु नाबार्ड ने कई उपाय शुरू किए, जो इस प्रकार हैं - वित्तपोषक बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों की

परामर्श बैठकें आयोजित करना, राज्य स्तरीय बैंकर समितियों, बैंकों और राज्य सरकारों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में परामर्श देना, बैंकों की जानकारी के लिए मॉडल बैंक-ग्राह्य परियोजनाएँ तैयार करना आदि शामिल हैं.

47. ऋण पैकेज के कार्यान्वयन में हुई प्रगति से पता चलता है कि 2004-05 के दौरान कुल संवितरण रु. 1,15, 242.81 करोड़ तक पहुँच गया है और इस प्रकार, पिछले वर्ष की तुलना में, इसमें 32.5 प्रतिशत की वृध्दि हासिल हुई है. वाणिज्य बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेग्रा बैंकों ने क्रमशः रु. 72,886.26 करोड़, रु. 30,638.38 करोड़ और रु. 11,718.17 करोड़ संवितरित किए हैं और इस प्रकार उन्होंने अपने लिए निर्धारित लक्ष्यों का क्रमशः 128, 79 और 138 प्रतिशत प्राप्त किया है. मार्च 2005 के अंत तक, 79 लाख नए कृषकों को संस्थागत दायरे में लाया गया है और 777 कृषि-क्लीनिकों का वित्तपोषण किया गया है. बैंकों ने आपदाग्रस्त कृषकों तथा बकाएदार कृषकों को क्रमशः रु. 8,807.48 करोड़ तथा रु. 2,146.13 करोड़ और लघु एवं सीमान्त कृषकों को, एकमुश्त निपटान योजना के अंतर्गत, रु. 756.83 करोड़ की सीमा तक ऋण राहत प्रदान की है. जिन 16,758 कृषकों ने अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लिया हुआ था, उन्हें वाणिज्य बैंकों ने रु. 57 करोड़ के ऋण उपलब्ध कराए, ताकि वे अपने पिछले ऋण चुका सकें.

48. अगस्त 1998 में आरंभ की गई किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना से मौसमी कृषि परिचालनों के लिए अधिक अल्पावधि फसल ऋण उपलब्ध कराने में सहायता मिली है. वर्ष के दौरान, सहकारी बैंकों, क्षेग्रा बैंकों और वाणिज्य बैंकों ने क्रमशः 35.56 लाख, 17.29 लाख और 43.96 लाख कार्ड जारी किए. अब तक जारी कुल 510.80 लाख कार्डों में से, सहकारी बैंकों का हिस्सा सबसे अधिक (54%) था, जिसके बाद वाणिज्य बैंकों (35%) और क्षेग्रा बैंकों (11%) का स्थान रहा.

49. नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, नई दिल्ली द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला कि योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र के लिए ऋण के प्रवाह में बढ़ोतरी हुई, अल्पावधि ऋण आवश्यकताओं के लिए अनौपचारिक क्षेत्र से उधार में काफी कमी आई, अल्पावधि कृषि ऋण प्राप्त करने में लगने वाले समय में काफी बचत हुई और ऋण वितरण की लागत में समग्र रूप से कमी आई. औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में ब्याज-लागत कम हो जाने से, उधार की लागत पर योजना का सकारात्मक प्रभाव हुआ था. किन्तु इस संबंध में किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने पर कुछ बैंकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों, जरूरत से कम राशि की ऋण सीमाओं की मंजूरी और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (पेस) के प्रावधान के मामले में जागरूकता की कमी आदि जैसे कुछ क्षेत्रों में परिमार्जन की आवश्यकता है

50. नाबार्ड द्वारा किए गए अध्ययनों से निधियों के आहरण के लिए प्रलेखीकरण की प्रक्रिया सरल होने जैसे सकारात्मक पहलुओं का भी पता चला, जिनके परिणामस्वरूप बैंक-शाखाओं के कार्यभार में कमी आई, लेन-देन लागतें कम हो गईं, वसूली की स्थिति में बेहतरी आई, चूककर्ता उधारकर्ताओं को भी योजना के अंतर्गत शामिल किया जा सका, कृषकों के परिचालनों में लचीलापन आया और महाजनों पर निर्भरता कम हो गई. किन्तु अध्ययनों के दौरान कुछ चिंताजनक पहलू भी देखने में आए, जो इस प्रकार हैं : कम राशि की सीमाओं का निर्धारण, अपर्याप्त वित्तमान, किसान क्रेडिट कार्ड को नकद ऋण सुविधा के बजाय सावधि ऋण सुविधा माना जाना, पेस के अंतर्गत उधारकर्ताओं से बीमा की ऊँची किस्त लेना आदि.

उत्पादन ऋण

51. रास बैंकों और क्षेग्रा बैंकों के लिए 2004-05 (जुलाई-मार्च) के दौरान मंजूर की गई अल्पावधि ऋण सीमाओं की कुल राशि क्रमशः रु. 8,217.03 करोड़ और रु. 1,968.04 करोड़ थी, जो कि पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि की राशियों से क्रमशः 12 और 46 प्रतिशत अधिक थी. रास बैंकों और क्षेग्रा बैंकों के मामले में बकाया राशियों का अधिकतम स्तर क्रमशः 87 और 71 प्रतिशत तक पहुँचा. अल्पावधि कृषि/अनुषंगी और विपणन गतिविधियों के वित्तपोषण हेतु सहकारी बैंकों के लिए 2003-04 के दौरान आरंभ की गई नई ऋण व्यवस्था वर्ष के दौरान जारी रखी गई, जिसका प्रयोजन सहकारी बैंकों को चलनिधि उपलब्ध कराना और ऋण प्रवाह को बढ़ाने के लिए उच्च लागत वाली निधियों से प्रभावी ढंग से राहत पाने में उनकी सहायता करना है. चार रास बैंकों को कुल रु. 375.82 करोड़ की ऋण सीमाएँ मंजूर की गईं, जिनका उपयोग रु. 180.55 करोड़ की सीमा तक किया गया.

52. वर्ष के दौरान, बुनकर सहकारी समितियों की उत्पादन/प्रापण और विपणन गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए, सात रास बैंकों को कुल रु.349.89 करोड़ की अल्पावधि ऋण सीमाएँ मंजूर की गईं, जिनकी तुलना में अधिकतम बकाया राशि रु.163.14 करोड़ तक पहुँची थी. साथ ही, औद्योगिक सहकारिताओं और वैयक्तिक ग्रामीण दस्तकारों के वित्तपोषण के लिए रु.13.28 करोड़ की ऋण सीमा रास बैंकों को मंजूर की गई थी. प्रसंगवश, अल्पावधि (मौसमी कृषि परिचालनों से इतर) प्रयोजनों के लिए क्षेग्रा बैंकों को ऋण सीमाओं की कुल मंजूरी रु. 216.83 करोड़ थी.

53. चलनिधि की कमी को दूर करने में सहकारी बैंकों और क्षेग्रा बैंकों को समर्थ बनाने के प्रयोजन से नाबार्ड ने, चलनिधि सहायता योजना का लाभ (जिमस बैंकों के लिए) रास बैंकों और क्षेग्रा बैंकों को, क्रमशः 5 प्रतिशत ब्याज-दर पर 36 माह की नियत अवधि और 6.5 प्रतिशत ब्याज-दर पर 18 माह की नियत अवधि के लिए प्रदान किया. 2004-05 के दौरान रास बैंकों और क्षेग्रा बैंकों को मंजूरी की गई राशि क्रमशः रु. 1,914.24 करोड़ और रु. 158.78 करोड़ थी, जिसमें क्रमशः रु. 790.03 करोड़ और रु. 18.08 करोड़ की राशि संवितरित की गई.

54. सहकारी ऋण संस्थाओं की शेयर पूँजी में अंशदान के लिए 2004-05 के दौरान, 6 राज्य सरकारों को कुल रु.32.98 करोड़ के दीर्घावधि ऋण मंजूर किए गए. साथ ही, सहकारी बैंकों द्वारा प्रदत्त बड़ी राशि के अग्रिमों के विभिन्न पहलुओं की जाँच करने के प्रयोजन से, ऋण अनुप्रवर्तन व्यवस्था के अंतर्गत 2004-05 के दौरान छत्तीस अनुप्रवर्तन अध्ययन किए गए.

निवेश ऋण

55. आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु के समुद्रतटीय जिलों और अंडमान प्रभावित व्यक्तियों के लिए राहत देने में वाणिज्य बैंकों और क्षेग्रा बैंकों की सहायता करने के प्रयोजन से, नाबार्ड ने निम्नलिखित की अनुमति दी है : (i) बैंकों द्वारा पुनः अनुसूचीकृत वर्तमान सावधि ऋणों (जो पहले से ही पुनर्वित्त के अंतर्गत समाविष्ट हैं) के मामले में तदनुरूप पुनः अनुसूचीकरण, (ii) आस्तियों की पूर्ण/आंशिक हानि के मामलों में बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए गए ताजा ऋणों के लिए पुनर्वित्त, (iii) स्वयं सहायता समूहों के जिन सदस्यों को आपदा के कारण हानि हुई थी, उन्हें अधिक राशि के ऋणों के लिए पुनर्वित्त सहायता, (iv) नए मकानों के निर्माण और मरम्मत/पुनः निर्माण के लिए मंजूर किए गए ऋणों हेतु पुनर्वित्त सहायता और (v) राजीव गांधी सुनामी क्षेत्र पुनर्वास पैकेज के अंतर्गत मंजूर किए गए ऋणों के लिए पुनर्वित्त.

56. रास बैंकों, रासकृग्रावि बैंकों, क्षेग्रा बैंकों और वाणिज्य बैंकों द्वारा सावधि कृषि ऋणों के वित्तपोषण में उनकी निधियों की लागत कम करने में सहायता करने के प्रयोजन से, नाबार्ड ने, इन बैंकों द्वारा पूर्व में लिए गए उच्च लागत वाले पुनर्वित्त का पूर्व-भुगतान करने और उसके बराबर राशि के पुनर्वित्त का लाभ लेने की एक योजना, 2004-05 के दौरान आरंभ की. रासकृग्रावि बैंकों, कमजोर क्षेग्रा बैंकों और रास बैंकों को यह विकल्प दिया गया कि वे नाबार्ड पुनर्वित्त की संपूर्ण बकाया राशि पर, कुछ विशिष्ट मानदण्डों के अनुपालन के अधीन, ब्याज की दर 8 प्रतिशत वार्षिक रीसेट कर लें. अब तक 20 वाणिज्य बैंकों, 158 क्षेग्रा बैंकों और 3 रासकृग्राविबैंकों ने रु. 3,693 करोड़ की राशि का पूर्व-भुगतान कर दिया है और 13 रासकृग्रावि बैंकों, 1 रास बैंक और 3 क्षेग्रा बैंकों ने ब्याज दर रीसेट करने के विकल्प का उपयोग किया है.

57. वाणिज्य बैंकों, रास बैंकों, रासकृग्रावि बैंकों, क्षेग्रा बैंकों और अन्य पात्र वित्तीय संस्थाओं के लिए निवेश ऋण हेतु कुल पुनर्वित्त संवितरण, पिछले वर्ष के रु. 7,605.29 करोड़ की तुलना में, 2004-05 के दौरान रु. 8,577.46 करोड़ रहा और इस प्रकार इसमें 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. योजनाबद्ध ऋण वितरण हेतु पुनर्वित्त में राज्य रासकृग्रावि बैंकों और रास बैंकों का हिस्सा घटकर क्रमशः 32 प्रतिशत (2002-03 के दौरान 38 प्रतिशत) और 14 प्रतिशत (2002-03 के दौरान 24 प्रतिशत) रह गया, जो इन बैंकों की ऋण लेने की घटती हुई क्षमता को प्रतिबिम्बित करता है, जबकि वाणिज्य बैंकों का हिस्सा वर्ष के दौरान बढ़कर 30 प्रतिशत (2002-03 के दौरान 17 प्रतिशत) हो गया.

58. पुनर्वित्त के प्रवाह में अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों में बहुत अंतर रहा. उत्तर प्रदेश (रु. 1,473.57 करोड़), पंजाब (रु. 1,041.82 करोड़) और आंध्र प्रदेश (रु. 894.93 करोड़) तीन राज्यों का सम्मिलित हिस्सा वर्ष के दौरान संवितरित पुनर्वित्त का 40 प्रतिशत था, जबकि दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्रों का सम्मिलित हिस्सा 52 प्रतिशत था. गैर-कृषि क्षेत्र (ग्रामीण आवासन सहित) का हिस्सा सर्वाधिक (30 प्रतिशत) था, जिसके बाद पशुपालन (13 प्रतिशत), कृषि मशीनीकरण (12 प्रतिशत), लघु सिंचाई/भूमि विकास एवं स्वयं सहायता समूह (प्रत्येक 11 प्रतिशत) का स्थान रहा. पिछले वर्ष की तुलना में, वर्ष के दौरान स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के लिए संवितरित पुनर्वित्त में 111 प्रतिशत की और स्वयं सहायता समूहों के लिए संवितरित पुनर्वित्त में 37 प्रतिशत की वृद्धि हुई.

59. छोटे उधारकर्ताओं की निवेश और कार्यशील पूँजी आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयोजन से नाबार्ड ने 2003 में स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना आरंभ की थी. मार्च 2005 के अंत तक, 161 क्षेग्रा बैंकों, 35 वाणिज्य बैंकों और 71 सहकारी बैंकों ने यह योजना आरंभ कर दी थी और रु. 532.53 करोड़ की ऋण सीमाओं के 1.79 लाख कार्ड जारी कर दिए थे.

60. स्वयं सहायता समूहों को प्रदत्त ऋण की औसत राशि, रु. 28,560 (31 मार्च 2003) से 49 प्रतिशत बढ़कर रु. 42,620 (31 मार्च 2005) हो गई है, जो ऋण की व्याप्ति के बढ़ने और ऋण तक अधिक पहुँच का परिचायक है. स्वयं सहायता समूहों को वर्ष के दौरान संवितरित कुल बैंक-ऋण, पिछले वर्ष संवितरित रु. 1,855.53 करोड़ की तुलना में, रु. 2,994.26 करोड़ रहा. नाबार्ड ने 2,13,845 स्वयं सहायता समूहों की सहायता करने के प्रयोजन से 2004-05 के दौरान कुल रु. 967.76 करोड़ का पुनर्वित्त उपलब्ध कराया है.

61. वाणिज्य बैंकों के साथ सह-वित्तपोषण के लिए, कुल रु. 26.50 करोड़ के वित्तीय परिव्यय और रु. 19.13 करोड़ के ऋण-घटक वाली तीन परियोजनाएँ वर्ष के दौरान मंजूर की गईं, जिनमें नाबार्ड का हिस्सा रु. 9.57 करोड़ है. सह-वित्तपोषण व्यवस्थाओं के अंतर्गत जैव-कृषि, जैव-ईंधन उत्पादन, दुग्ध-प्रसंस्करण, भ्रूण-अंतरण-प्रौद्योगिकी आदि से संबंधित छह परियोजनाएँ चल रही हैं.

62. वर्ष के दौरान, छोटे/सीमांत किसानों को भूमि की खरीद हेतु वित्तपोषण की एक योजना के तहत 3,218 इकाइयों का वित्तपोषण किया गया जिसमें बैंक ऋण रु.59.60 करोड़ और पुनर्वित्त रु.49.98 करोड़ था, ताकि वे कृषि/परती/बंजरभूमि का विकास कर उसमें खेती कर सकें. वर्ष के दौरान 782 कृषि क्लीनिकों और कृषि व्यवसाय केन्द्रों की स्थापना की गई और बैंक ऋण के रूप में रु.2,399.57 लाख की राशि संवितरित की गई. अभी तक, 7,145 प्रशिक्षित कृषि / पशुचिकित्सा स्नातकों में से 1,656 कृषि उद्यमियों ने देश के विभिन्न भागों में अपनी इकाई स्थापित की है. अधिकांश स्थापित इकाइयाँ आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हैं.

63. वर्ष के दौरान पुनर्वित्त पर ब्याज दरों में संशोधन किया गया. वर्तमान ब्याज दरें ऋण की राशि, कार्यकलाप और क्षेत्र के आधार पर 6 से 6.75 तक हैं.

64. वर्ष के दौरान, नाबार्ड ने 40 निवेश-विशिष्ट और 17 योजना-विशिष्ट अध्ययन किए. जो सकारात्मक विशेषताएँ पाई गईं, उनमें ट्रैक्टरों और सामुदायिक तालाबों में मत्स्यपालन के लिए बैंकों द्वारा समूह वित्तपोषण के साथ-साथ फसल सघनता में सुधार और होमस्टेड कृषि योजनाओं के अंतर्गत प्रति इकाई क्षेत्रफल आय में वृद्धि शामिल है. बैंक ने अंगूर, आलू और कपास पर जिन्स - विशिष्ट अध्ययन भी शुरु किए ताकि उनकी आपूर्ति, श्रृंखला, उत्पादन और विपणन से संबंधित पहलुओं की जाँच की जा सकें. इसके अतिरिक्त विभिन्न निवेशों/क्रियाकलापों, जैसे भूमि विकास, डेरी, शीत भंडार इकाइयों, स्वयं सहायता समूह, सहभागितामूलक सिंचाई प्रबंधन संस्थानों, ग्रामीण सड़क और पुल परियोजनाओं को शामिल करते हुए आठ एक्स-पोस्ट मूल्यांकन अध्ययन किए गए.

65. सब मिलाकर, आठ विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएँ कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में थीं. वर्ष के दौरान रु.24.35 करोड़ की राशि संवितरित की गई और अनुदान सहायता के रूप में इन परियोजनाओं के तहत रु.35.14 करोड़ की राशि प्राप्त हुई.

ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास

66. वर्ष के दौरान, आरआईडीएफ X के अंतर्गत 60,015 परियोजनाओं के लिए रु.8,282.75 करोड़ की राशि का ऋण मंजूर किया गया, इस प्रकार 31 मार्च 2005 को परियोजनाओं की संचयी संख्या 2,16,099 और मंजूर की गई राशि रु.42,948.51 करोड़ हो गई जिसमें से ग्रामीण सड़क और पुल परियोजनाओं का हिस्सा 45 प्रतिशत, सिंचाई परियोजनाओं का 34 प्रतिशत, सामाजिक और विद्युत् क्षेत्र परियोजनाओं का 12 प्रतिशत और शेष हिस्सा अन्य परियोजनाओं का है. वर्ष के दौरान, केरल में ब्लॉक पंचायतों द्वारा कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण सड़क और पुल परियोजनाओं हेतु उन्हें ऋण के रूप में कुल रु.58.28 करोड़ की राशि मंजूर की गई. वर्ष के दौरान, वाणिज्य बैंकों से जमा के रूप में रु.4,353.47 करोड़ की राशि प्राप्त हुई, इस प्रकार मार्च 2005 तक संचयी राशि रु.22,657.53 करोड़ हो गई. वर्ष के दौरान राज्य सरकारों से चुकौती के रूप में रु.7,807.29 करोड़ की राशि प्राप्त हुई. आरआईडीएफ I से X के अंतर्गत संचयी संवितरण रु.25,384.02 करोड़ हो गया.

67. नाबार्ड ने आरआईडीएफ के अंतर्गत कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं का अनुप्रवर्तन जारी रखा और अनुप्रवर्तन अध्ययन के लिए मशहूर परामर्श एजेंसियों जैसे एलएण्डटी रैम्बॉल परामर्श इंजिनियरिंग लि., टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, कंसल्टिंग इंजिनियरिंग सर्विसेज (इंडिया) प्रा.लि., इत्यादि की सेवा ली. वर्ष के दौरान फील्ड दौरों के माध्यम से 8,791 परियोजनाओं का अनुप्रवर्तन किया गया. परियोजनाओं के निष्पादन की गति और गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु संबंधित विभागों और राज्य सरकारों के साथ शीघ्र अनुवर्ती कार्रवाई करने की दृष्टि से अध्ययन लाभप्रद रहे हैं.

68. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में ऋण प्रवाह को बढ़ाने की अपनी नीति को नाबार्ड ने जारी रखा है और इसके लिए इन क्षेत्रों में कार्यरत सहकारी बैंकों और क्षेग्रा बैंकों को, पुनर्वित्त हेतु पात्रता मानदंड, पुनर्वित्त पर ब्याज दर इत्यादि में छूट प्रदान की गई. पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऋण प्रवाह को बढ़ाने और सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से 2003-04 के दौरान नागालैण्ड में ग्राम विकास बोर्डों/ग्राम विकास काउंसिलों (वीडीबी/वीडीसी) को ऋण देने संबंधी एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई और नाबार्ड, नागालैण्ड सरकार और भारतीय स्टेट बैंक के बीच एक सहमति ज्ञापन निष्पादित किया गया. नागालैण्ड में रु.25 लाख की समूह निधि से योजना के कार्यान्वयन हेतु 25 वीडीबी की पहचान की गई और कुछ बैंक शाखाओं द्वारा वीडीबी का वित्तपोषण शुरू किया गया.

नाबार्ड परामर्श सेवाएँ

69. कृषि, ग्रामीण विकास और अनुषंगी क्षेत्रों में परामर्श उपलब्ध कराने हेतु 17 नवंबर 2003 को कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत कराकर नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज (नैबकॉन्स) का गठन किया गया. वर्ष के दौरान नैबकॉन्स के बोर्ड का पुनर्गठन किया गया जिससे कि इसमें बैंकरों, शिक्षाविदों और कार्पोरेट कार्यपालकों जैसे व्यावसायिक योग्यता वाले अनुभवी लोगों को शामिल किया जा सके.

70. वर्ष के दौरान कुल 85 असाइनमेंट मिले जिनमें रु.1,221.95 लाख का परामर्श शुल्क निहित था. अभी तक नैबकॉन्स को 168 असाइनमेंट मिले हैं जिनमें परामर्श शुल्क की राशि रु.1,518.02 लाख है. इनमें से 110 असाइनमेंट पूरे हुए जिनसे रु.295.58 लाख की राशि प्राप्त हुई. कंपनी के ग्राहकों में भारत सरकार के विभिन्न विभाग, राज्य सरकार, वित्तीय संस्थान, कारपोरेट घराने, गैर-सरकारी संगठन, अंतरराष्ट्रीय निकाय इत्यादि शामिल हैं. नैबकॉन्स ने विभिन्न देशों के ग्राहकों के लिए 8 अंतरराष्ट्रीय विजिटर्स कार्यक्रम भी आयोजित किए.

संसाधन प्रबंध

71. कैपिटल गेन्स बाण्ड (रु.3,425.98 करोड़), प्राथमिकता क्षेत्र बाण्ड (रु.3,241.50 करोड़), गैर-प्राथमिकता क्षेत्र बाण्ड (रु.2,175 करोड़) और बैंक से उधार (रु.1,800 करोड़) के कारण नाबार्ड के वित्तीय संसाधनों में पिछले वर्ष हुई रु.7,416 करोड़ की वृद्धि की तुलना में 2004-05 के दौरान रु.8,077 करोड़ की वृद्धि हुई. कुल कार्यशील निधि 31 मार्च 2004 के रु.55,889 करोड़ से 11 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2005 को रु.60,779 करोड़ हो गई.

72. संगृहीत निधि का उपयोग आरआईडीएफ और गैर-परियोजना ऋण के अंतर्गत योजनाबद्ध ऋण, अल्पावधि/मध्यावधि/दीर्घावधि ऋण और राज्य सरकारों को ऋण देने के लिए किया गया. कुल कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में नाबार्ड के उधार में 31 मार्च 2001 के 13.17 की तुलना में 31 मार्च 2005 को 36.63 की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई.

73. वर्ष के दौरान, बैंक की कुल आय रु.3,938.74 करोड़ रही जब कि पिछले वर्ष के दौरान यह रु.4,267.27 करोड़ थी. आयकर (रु.299.20 करोड़), विशेष प्रारक्षित निधि में अंशदान (रु.575 करोड़), राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि में अंतरण (रु.81 करोड़) और राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि में अंतरण (रु.10 करोड़), का प्रावधान करने के बाद रु.449.56 करोड़ के सरप्लस (रु.2,606.13 करोड़ का व्यय करने के बाद) को बैंक की विभिन्न निधियों में अंतरित कर दिया गया.

ग्राहक संस्थाओं का क्षमता निर्माण

74. ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं का कामकाज और कार्यनिष्पादन, सामान्यतः कई कमजोरियों से ग्रस्त रहे, जिनमें शामिल थे - अनुत्पादक आस्तियों का ऊँचा स्तर, वसूली की खराब स्थिति और संचित हानियाँ. परिणामतः इन संस्थाओं ने उभरते उदारीकृत माहौल में अन्य ऋणदाता एजेंसियों के साथ मुकाबला करने में कठिनाई महसूस की. इसे ध्यान में रखते हुए नाबार्ड ने ग्रामीण ऋण संस्थाओं को, विशेष रूप से सहकारी बैंकों और क्षेग्रा बैंकों को सुदृढ़ बनाने के प्रयास जारी रखे.

संस्था विकास

75. वर्ष 2002-03 के दौरान प्राथमिक कृषि ऋण संस्थाओं द्वारा प्रदत्त ऋणों में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण लगभग स्थिर रहे और 2003-04 में रास बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋणों में पिछले वर्ष की तुलना में 14 प्रतिशत की, और जिमस बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋणों में 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई. समग्र स्तर पर रास बैंकों ने रु.372.78 करोड़ का लाभ अर्जित किया. लाभ अर्जित करने वाले रास बैंकों के लाभ में, 2003-04 में, पिछले वर्ष की तुलना में 21 प्रतिशत की कमी आई. जिमस बैंकों ने समग्र स्तर पर 2003-04 में रु.100.56 करोड़ का लाभ अर्जित किया, जबकि पिछले वर्ष उन्हें रु.211.30 करोड़ का घाटा हुआ था. वर्ष 2003-04 में समग्र स्तर पर रासकृग्रावि बैंकों और प्रासकृग्रावि बैंकों का घाटा और बढ़कर क्रमशः रु.113.50 करोड़ और रु.337.20 करोड़ हो गया. विभिन्न राज्यों की सहकारी ऋण संस्थाओं के कार्यनिष्पादन में भारी अंतर देखा गया.

76. वर्ष 2003-04 के दौरान रास बैंकों और जिमस बैंकों ने एक समूह के रूप में क्रमशः 0.67 और 2.61 प्रतिशत का धनात्मक मार्जिन अर्जित किया. जहाँ रिपोर्ट करने वाले 19 रासकृग्रावि बैंकों में से 11 का निवल मार्जिन धनात्मक और शेष का ऋणात्मक था, वहीं 2003-04 में 8 राज्यों में प्रासकृग्रावि बैंकों का निवल मार्जिन ऋणात्मक और 4 राज्यों में धनात्मक था. दीर्घावधि ढाँचे के ऋणात्मक निवल मार्जिन के कारण थे - वसूली की खराब स्थिति, क्षतिग्रस्त आस्तियों के समक्ष पहले की अपेक्षा अधिक प्रावधानन और उच्चतर लेनदेन लागत.

77. 31 मार्च 2004 की स्थिति के अनुसार, 30 में से 4 रास बैंकों, 365 में से 102 जिमस बैंकों, 1,12,309 में से 53,626 प्राकृऋ समितियों, 20 में से 9 रासकृग्रावि बैंकों और 715 में से 439 प्रासकृग्रावि बैंकों ने घाटा उठाया, जिसकी कुल राशि (प्राकृऋ समितियों को छोड़कर) रु.8,746 करोड़ हुई. कुल बकाया ऋणों और अग्रिमों में अनुत्पादक आस्तियों को ऊँचा आनुपातिक हिस्सा चिंता का विषय बना रहा, जो कि 31 मार्च 2004 की स्थिति के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में, विशेष रूप से जिमस बैंकों, रासकृग्रावि बैंकों और प्रासकृग्रावि बैंकों के मामले में और बढ़ गया. साथ ही वसूली का निम्न स्तर भी चिंता का कारण बना रहा. तथापि, सहकारी बैंकों, विशेष रूप से जिमस बैंकों और रास बैंकों ने क्षतिग्रस्त आस्तियों के लिए पर्याप्त प्रावधान किए हैं.

78. सहकारी ऋण ढाँचे में विद्यमान कमजोरियों को देखते हुए सहकारी बैंकों द्वारा संस्था-विशिष्ट विकास कार्य योजनाएँ तैयार करने और सहमति ज्ञापनों के निष्पादन का कार्य, वर्ष के दौरान भी जारी रहा. प्राकृऋ समितियों को भी विकास कार्ययोजना/सहमति ज्ञापन प्रक्रिया के दायरे में लाया गया और उनसे लाभप्रदता हासिल करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने और संबंधित जिमस बैंकों के साथ सहमति ज्ञापन निष्पादित करने को कहा गया. वर्ष के दौरान 22 रास बैंकों, 12 रासकृग्रावि बैंकों, 337 जिमस बैंकों और 704 प्रासकृग्रावि बैंकों ने सहमति ज्ञापन निष्पादित किए. विकास कार्ययोजना/सहमति ज्ञापन के प्रभाव आकलन के अध्ययन से पता चलता है कि प्रबंधन स्तर पर इससे व्यावसायिक दृष्टिकोण आया है और लाभप्रदता के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है. 1994-95 से 2002-03 की अवधि के दौरान जमाराशि संग्रहण, प्रदत्त ऋण एवं बकाया राशि के संदर्भ में कारोबार में जिमस बैंक स्तर पर वृद्धि 12 से 17 प्रतिशत एवं रास बैंक स्तर पर 7.5 से 14 प्रतिशत की वार्षिक दर से हुई. 'संगठन विकास सहयोग' (ओडीआई) कार्यक्रम आयोजित करने की प्रक्रिया भी जारी रही. अब तक एसडीसी सहायता प्राप्त ओडीआई कार्यक्रमों के तहत क्षेग्रा बैंकों एवं रास बैंकों/जिमस बैंकों के लिए ऐसे क्रमशः 361 एवं 115 कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं.

79. सहकारी ऋण संस्थाओं की विकासात्मक पहल में सहायता करने के उ›श्य से नाबार्ड सहकारिता विकास निधि (सीडीएफ) से वित्तीय सहायता प्रदान करता है. वर्ष के दौरान इसके लिए रु.3.14 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई तथा रु.4.15 करोड़ की राशि संवितरित की गई. इसके साथ ही सहकारी बैंकों के कार्मिकों के प्रशिक्षण, कम्प्यूटरीकरण, कारोबार विकास कक्ष की स्थापना एवं किसान क्रेडिट कार्ड योजना और अन्य ऋण उत्पादों के प्रचार के लिए इस निधि के अंतर्गत संचयी मंजूरियों एवं संवितरित सहायता की राशि 31 मार्च 2005 तक क्रमशः रु.65.33 करोड़ एवं रु.55.38 करोड़ हो गई. प्राकृऋ समितियों को दी गई सहायता से उनके जमाराशि संग्रहण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, प्रबंध सूचना प्रणाली में सुधार हुआ तथा सहकारी बैंकों में प्रशिक्षित श्रमशक्ति के उपलब्ध होने से इस ढाँचे की समग्र दक्षता वृद्धि में सहायता मिली.

80. सहकारी ऋण संस्थाओं को होने वाली समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार ने अगस्त 2004 में प्रो.ए. वैद्यनाथन, एमआईडीएस, चेन्नई की अध्यक्षता में ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के पुनरुद्धार के लिए एक कार्यदल का गठन किया जिसे एक व्यावहारिक एवं कार्यान्वयन योग्य कार्ययोजना तैयार कर ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना को पुनर्जीवित करने के लिए वित्तीय आवश्यकता का सही आकलन करना था. इस कार्यदल ने फरवरी 2005 में भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा संस्थागत, विनियामक और विधिक सुधारों के संबंध में प्रमुख अनुशंसाएँ कीं. इसने सहकारी संस्थाओं के पुनरुद्धार हेतु रु.14,839 करोड़ की वित्तीय सहायता की आवश्यकता का अनुमान लगाया तथा एक कार्यान्वयन तंत्र का सुझाव दिया. भारत सरकार ने दीर्घावधि सहकारी ऋण संस्थाओं के पुनरुद्धार पर भी एक कार्यदल गठित किया है.

81. क्षेग्रा बैंकों के संबंध में किए गए नीतिगत उपायों तथा पूँजी प्रदान कर पुनरुद्धार के प्रयासों से उनके वित्तीय कार्यनिष्पादन, विशेष तौर पर लाभप्रदता में वृद्धि, अलाभकारी आस्तियों में कमी एवं वसूली में सुधार के संदर्भ में, काफी लाभकारी प्रभाव पड़ा है. यद्यपि अपने संचित घाटे को समाप्त कर स्थायी लाभप्रदता प्राप्त करने वाले क्षेग्रा बैंकों की संख्या 97 से बढ़कर मार्च 2004 तक 106 हो गई, परंतु विभिन्न राज्यों के क्षेग्रा बैंकों के कार्यनिष्पादन में अत्यधिक अंतर रहा. 30 जून 2004 तक चार राज्यों अर्थात् हरियाणा, केरल, पंजाब और तमिलनाडु में वसूली कार्यनिष्पादन 85 प्रतिशत से अधिक रहा, लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों एवं झारखंड में इसकी स्थिति खराब थी. समग्र रूप से क्षेग्रा बैंकों के कुल वसूली कार्यनिष्पादन में सुधार रहा, जो जून 2003 के अंत के 73.49 प्रतिशत से बढ़कर जून 2004 के अंत तक 77.67 हो गया.

82. पिछले दो दशकों में बैंक का विकास वालंटियर वाहिनी (किसान क्लब कार्यक्रम के रूप में पुनः नामित) कार्यक्रम 505 जिलों में फैल गया है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2004-05 के दौरान गठित 3,649 क्लबों सहित 13,664 किसान क्लबों के माध्यम से 31,108 ग्राम कवर किए गए हैं. किसान क्लबों की भूमिका को बढ़ा दिया गया है

ताकि उसमें उच्चतर उत्पादकता के लिए क्षेत्र स्तर पर प्रौद्योगिकी अंतरण, प्रभावशाली फसलोपरांत प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऑन-फार्म मूल्यसंवर्धन और उत्पादों के विपणन में प्रतिभागिता भी आ सकें. पंजाब नेशनल बैंक द्वारा हरियाणा में स्थापित किसान प्रशिक्षण केन्द्र को किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु रु.18.04 लाख का अनुदान दिया गया.

बैंकों का पर्यवेक्षण

83. वर्ष के दौरान, 326 बैंकों (12 रास बैंकों, 181 जिमस बैंकों एवं 133 क्षेग्रा बैंकों) का सांविधिक निरीक्षण, 11 रासकृग्राvि बैंकों और 4 शीर्षस्थ संस्थाओं का स्वैच्छिक निरीक्षण तथा 94 बैंकों (11 रास बैंकों, 1 रासकृग्रावि बैंक एवं 82 जिमस बैंकों) का त्वरित निरीक्षण किया गया. इन निरीक्षणों से यह प्रकाश में आया कि इन बैंकों/संस्थाओं के कार्यों को क्षति पहुँचाने वाली कमजोरियों में से कुछ थीं - आय निर्धारण एवं आस्ति वर्गीकरण मानदंडों का अनुचित प्रयोग/कार्यान्वयन, क्षतिग्रस्त आस्तियों/ऋणों के लिए अपर्याप्त प्रावधान, अपर्याप्त जोखिम प्रबंधन कार्यनीति, ऋणों की मंजूरी और वितरण में त्रुटियाँ और ऋणों के अंतिम उपयोग का अपर्याप्त पर्यवेक्षण, त्रुटिपूर्ण आंतरिक जाँच और नियंत्रण प्रणाली, ऋण अनुप्रवर्तन व्यवस्था में कमी इत्यादि.

84. पर्यवेक्षण बोर्ड (रास बैंक, जिमस बैंक और क्षेग्रा बैंक के लिए) की वर्ष के दौरान चार बैठकें हुईं तथा पर्यवेक्षण बोर्ड ने कई सहकारी बैंकों की, विशेषकर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (ससयला) की धारा 11(1) के प्रावधानों का पालन न करने वाले बैंकों की खराब हो रही वित्तीय स्थिति और आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान करने के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन न करने वाले बैंकों पर दंड लगाने के प्रावधान की कमी पर चिंता व्यक्त की.

85. वर्ष के दौरान पर्यवेक्षण बोर्ड ने जिन मदों पर चर्चा की उनमें अन्य बातों के साथ-साथ ऑफ साइट निगरानी प्रणाली, कुछ सहकारी बैंकों के विरुद्ध पर्यवेक्षणात्मक और विनियामक कार्रवाई करने के लिए ट्रिगर प्वाइंट का निर्धारण, क्षेग्रा बैंकों के कार्यनिष्पादन की प्रायोजक बैंक-वार समीक्षा इत्यादि शामिल हैं. रास बैंकों एवं जिमस बैंकों के विरुद्ध पर्यवेक्षणात्मक और विनियामक कार्रवाई करने के लिए कुछ ऐसे मानदंडों के आधार पर 'ट्रिगर प्वाइंट्स' का एक सेट इन बैंकों को भेजा गया, जिन्हें संख्यात्मक रूप दिया जा सकता है.

86. 31 मार्च 2005 तक 6 रास बैंक एवं 136 जिमस बैंक ऐसे थे जो संबंधित अधिनियमों के तहत निर्धारित न्यूनतम शेयर पूँजी संबंधी अपेक्षा का पालन नहीं कर रहे थे. 31 मार्च 2005 तक अनुपालन न करने वाले सहकारी बैंकों की आस्तियों का कुल क्षरण रु.10,305.62 करोड़ था. इससे न केवल उनकी संपूर्ण स्वाधिकृत निधियों का ही क्षरण हो गया, बल्कि रु.3,647.41 करोड़ तक उनकी जमाराशि भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई.

संगठन और प्रबंध

87. नाबार्ड ने अपने कर्मचारियों के क्षमता निर्माण संबंधी प्रयास जारी रखे तथा नए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए/वर्तमान कार्यक्रमों को परिमार्जित किया ताकि उन्हें निरंतर बदल रहे सामाजिक-आर्थिक एवं तकनीकी परिवेश के अनुरूप सक्षम बनाया जा सके.

88. वर्ष के दौरान, नाबार्ड के निदेशक मंडल की 7 बैठकें आयोजित की गईं जबकि कार्यकारी समिति की पाँच आरआईडीएफ के तहत ऋण के लिए समिति की आठ और लेखा परीक्षा समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं.

89. 31 मार्च 2004 की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक ने नाबार्ड का सातवाँ वित्तीय निरीक्षण 8 नवंबर 2004 से 22 जनवरी 2005 तक किया.

प्रशिक्षण और कौशल वृद्धि

90. वर्ष के दौरान, कार्य, व्यवहार एवं तकनीकी विषयों पर राष्ट्रीय बैंक स्टाफ महाविद्यालय, लखनऊ में 97 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 1,952 अधिकारियों ने भाग लिया. औषधीय एवं सगंध पौधों, ग्रामीण ऋण एवं प्रबंधन के प्रति सहभागितापूर्ण दृष्टिकोण, विपणन कौशल एवं वाटरशेड परियोजनाओं के अनुप्रवर्तन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए. इसके अतिरिक्त, भारतीय ऋण बाजार, निवेश और ट्रेजरी प्रबंध, जोखिम आधारित पर्यवेक्षण, जल संसाधन विकास, उन्नत बागवानी प्रौद्योगिकी आदि विषयों पर विशेष रूप से तैयार किए गए और पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमों, एक्सपोज़र दौरों, कार्यशालाओं आदि में 1,004 अधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए. भारत सरकार के निर्देश पर प्रशिक्षण संस्थाओं के संकाय सदस्यों तथा कुछ

बैंक अधिकारियों को विभिन्न राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थाओं में विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रतिनियुक्त किया गया, जो इस प्रकार हैं - प्रत्यक्ष प्रशिक्षण कौशल, प्रशिक्षण डिजाइन और प्रशिक्षण मूल्यांकन. कुल मिलाकर, बैंक के 2,956 अधिकारियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं के लिए प्रतिनियुक्त किया गया. इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय बैंक प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ एवं आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र, हैदराबाद में 77 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें ग्रुप बी और सी के 1,216 कर्मचारियों ने भाग लिया.

91. आर्थिक अनुसंधान और विकास विभाग (डीयर) तथा तकनीकी सेवा विभाग अपने अधिकारियों को बैंकिंग एवं कृषि के क्षेत्र में हुई अद्यतन प्रगति से परिचित कराने, विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए जानकारी देने एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराने के लिए स्वयं अपने यहाँ और बाहरी एजेंसियों के साथ मिलकर विभिन्न कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित करते हैं.

92. वर्ष के दौरान डीयर ने दो एक्सपोजर कार्यक्रम आयोजित किए जिनेमें से एक अर्थशास्त्र की पृष्ठभूमि वाले नए भर्ती हुए अधिकारियों के विश्लेषण कौशल को सशक्त बनाने के उ‍ेश्य से राष्ट्रीय बैंक महाविद्यालय में आयोजित किया गया तथा दूसरा वरिष्ठ अधिकारियों को, वर्तमान समष्टिगत-आर्थिक परिवेश, भारतीय कृषि पर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के प्रभाव, प्रबंध सूचना प्रणाली में सुधार तथा कृषि क्षेत्र की कार्यनिष्पादकता बढ़ाने के लिए कार्यनीति बनाने के संदर्भ में जानकारी देने के उ‍ेश्य से इंस्टीट्यूट ऑफ इकॉनामिक ग्रोथ (आईईजी), दिल्ली में आयोजित किया गया.

93. तकनीकी सेवा विभाग ने संबंधित इलाकों में चुने गए थ्रस्ट क्षेत्रों के विकास पर केन्द्रित पाँच क्षेत्रीय कार्यशालाएँ आयोजित कीं. आम के निर्यात के संवर्धन हेतु आम पर संगोष्ठी भी आयोजित की गई. साथ ही, वर्ष के दौरान अधिकारियों को उनके विषयों में हो रही अद्यतन तकनीकी प्रगति से अवगत कराने के लिए चार विषयों अर्थात् पशुपालन, भूमि विकास, कृषि अभियांत्रिकी एवं मत्स्यपालन की कारोबार विकास बैठकें तथा लघु सिंचाई और वृक्षरोपण एवं बागवानी विषय के कनिष्ठ अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यशालाएँ भी आयोजित की गईं.

भर्ती एवं पदोन्नति

94. वर्ष के दौरान, अधिकारी संवर्ग में सात व्यक्तियों की भर्ती की गई तथा 82 कर्मचारियों को लिपिक संवर्ग से अधिकारी संवर्ग में पदोन्नत किया गया. नाबार्ड ने सीधी भर्ती एवं पदोन्नति, दोनों में उन सभी संवर्गों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देना जारी रखा, जिनके लिए भारत सरकार के अनुदेशों के अनुरूप बैंक ने आरक्षण देना स्वीकार किया है.

अन्य विषय

95. वर्ष के दौरान 15 क्षेत्रीय कार्यालयों / प्रशिक्षण संस्थानों का निवारक सतर्कता निरीक्षण किया गया. कर्मचारियों को जागरूक बनाने की दृष्टि से विशेष रूप से तैयार किए गए दो प्रशिक्षण कार्यक्रम अधिकारियों के लिए आयोजित किए गए तथा नवंबर 2004 में बैंक द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया. वर्ष के दौरान, प्रधान कार्यालय ने 17 क्षेत्रीय कार्यालयों एवं 2 प्रशिक्षण संस्थानों का निरीक्षण किया.

96. उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए प्रधान कार्यालय में केन्द्रीय शिकायत समिति और क्षेत्रीय कार्यालयों में 21 क्षेत्रीय शिकायत समितियाँ कार्य कर रही हैं.

97. बैंक ने अपने दैनिक कार्यों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने का प्रयास जारी रखा. भारत सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना के तहत 48 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया तथा 1,074 स्टाफ सदस्यों को कम्प्यूटर पर हिन्दी में कार्य करने का प्रशिक्षण दिया गया. नाबार्ड की हिन्दी गृह पत्रिका 'सृजना' को विभिन्न संस्थाओं से तीन पुरस्कार प्राप्त हुए.